

विकास  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

27.03.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम  
से अलग-अलग समय पर तीन बार  
आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता  
वादी एवं वादीगण अपने वाद को  
लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पेखी'  
व 'अदम हाजिरी में इसी स्तर पर  
स्वारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल  
दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

विकास  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

